न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 138 / 2017 दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

रामकरण पुत्र प्यारा, जाति धाकड़, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रमेश चन्द गौतम पुत्र कन्हैया लाल, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– सत्य प्रकाश पुत्र रमेश चन्द गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– सूर्य प्रकाश पुत्र रमेश चन्द गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 162 / 2017 **दायरा दिनांक : 22.09.2017**

उनवान

1– रमेश चन्द गौतम पुत्र कन्हैया लाल, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– सत्य प्रकाश पुत्र रमेश चन्द गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– सूर्य प्रकाश पुत्र रमेश चन्द गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बनाम

रामकरण पुत्र प्यारा, जाति धाकड़, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री एस के राणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.12.2020**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 89/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 138/2017 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.06.2017 का केम्प नागरहगढ में अपीलांट का वाद स्वीकार करते हुए रेस्पोडेंट का काउंटर क्लेम खारिज किया है लेकिन निर्णय में गलत आदेश पारित कर तहसीलदार को सीमाज्ञान करायी जाकर प्रतिवादीगण को दखलअन्दाजी करने से पाबन्द करने का आदेश पारित किया है जबकि निर्णय विरोधाभासी है, रेस्पोडेंट की कोई खातेदारी की कृषि भूमि पास में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पोडेंट जिस आराजी खसरा संख्या 1586 रकबा 36 बीघा पर अपने खातेदारी की बताते हैं माफी मन्दिर श्री गणेश जी वास गांव की है । रेस्पोडेंट का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है न ही अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पारित किया जाना कि सीमाज्ञान कराया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे, उनका इन दोनों आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । निर्णय अपने आप में भ्रामक एवं विधि विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत वाद में जो

(महेन्द्र लोधा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अनुतोष/रिलीफ चाही गई थी उससे हटकर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.07.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 162/2017 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना कोई तनकीयात कायम की गई न कोई साक्ष्य ली गई ना वादी या प्रतिवादी के बयान लिये गये इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट नाहरगढ में पारित किया गया है जो निरस्तनीय है । न्याय आपके द्वारा लोक अदालत के तहत आपसी समझाईश से समझौते के आधार पर निर्णय पारित किये जाते हैं उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से निर्णय किया गया है किन्तु निर्णय जिस प्रकार से लिखा है उसके अनुसार लोक अदालत की भावना किसी भी प्रकार से नजर नहीं आती है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत भावना व अपनी भावना दोनों को एक साथ घोलमेल करके निर्णय व डिक्री पारित किया है जो न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2017 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.09.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि दिनांक 09.06.2017 के निर्णय में पक्षकारान की उपस्थिति दर्शायी गई है तथा न्याय आपके द्वारा केम्प नाहरगढ में उपस्थित होने बाबत नोटिस भी जारी किया गया है । अतः यह कहना कि लोक अदालत में एक तरफा फैसला कर दिया गया है उचित नहीं है । निर्णय में यह भी स्पष्ट है कि वादी अपीलांट वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1591 व 1592 रिकोर्डेड खातेदार हैं। रिकोर्डेड खातेदार की भूमि में अन्य किसी को दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है । प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट ने जवाबदावे में यह कथन किया कि खसरा नम्बर 1591 व खसरा नम्बर 1592 के लगवा खसरा नम्बर 1586 रकबा 36 बीघा भूमि माफी की है जो वर्तमान में मन्दिर श्री गणेश जी के खाते में दर्ज है जिस पर प्रतिवादीगणों का अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा इसी आधार पर कांउटर क्लेम भी पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1586 रकबा 36 बीघा में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में वादी अपीलांट किसी प्रकार की मंदाखलत उत्पन्न न करें, न अपने प्रतिनिधि से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम सही खारिज किया है क्योंकि काउंटर क्लेम में वर्णित आराजी मन्दिर श्री गणेश जी के खाते दर्ज है । मूर्ति मंदिर नाबालिग है जिस पर प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित व विधिपूर्वक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले रामकरण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 138/2017 एवं रमेश चन्द द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 162/2017 अपीलांट खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 138 / 2017

रामकरण पुत्र प्यारा, जाति धाकड़, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

..... **अपीलांट**

बनाम

1– रमेश चन्द गौतम पुत्र कन्हैया लाल, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2– सत्य प्रकाश पुत्र रमेश चन्द गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
3– सूर्य प्रकाश पुत्र रमेश चन्द गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 162 / 2017

1– रमेश चन्द गौतम पुत्र कन्हैया लाल, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2– सत्य प्रकाश पुत्र रमेश चन्द गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
3– सूर्य प्रकाश पुत्र रमेश चन्द गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

..... **अपीलांट**

बनाम

रामकरण पुत्र प्यारा, जाति धाकड़, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 138 / 2017 व 162 / 2017
मु.द.नं 89 / 2015

एवं नाराजगी डिकी अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज**
निर्णय एवं डिकी दिनांक – 19.06.2017

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 25 माह 11 सन् 2020

अपील संख्या 138 / 2017

हाजरी **श्री एस0के0 राणा** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री ओ0पी0 मेहता** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

अपील संख्या 162 / 2017

हाजरी **श्री ओ0पी0 मेहता** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री एस0के0 राणा** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले रामकरण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 138 / 2017 एवं रमेश चन्द द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 162 / 2017 अपीलांट खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.06.2017 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **21** माह **12** सन् **2020** को जारी किया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.